सूर्य कांत और परमजीत सिंह *न्यायमूर्ति के समक्ष*

**विनोद @ बोडा और अन्य—याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता**

**सीआरएम 2012 की सं 31765**

*मई* 01,2013

***दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 148,149, 332, 353, 186 और 506 - राज्य के खिलाफ गैर-शमनीय अपराधों के लिए समझौते के आधार पर रद्द करने के लिए याचिका - एफआईआर में आरोप हैं कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के आधिकारिक काम में बाधाएं डाली हैं- विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को बड़ी बेंच को संदर्भित किया- "क्या धारा 353 के तहत अपराध, (ग) क्या लोक सेवक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332 के मामले को लोक सेवक के साथ समझौते के आधार पर शमनीय बनाने की अनुमति दी जा सकती है? "- यह माना गया कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 320 के तहत रोक के बावजूद गैर-शमनीय अपराधों को रद्द करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है- जहां विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है- पक्षों के बीच सामंजस्य लाने के लिए कार्यवाही को रद्द किया जाना है।***

अभिनिर्धारित किया कि ज्ञान सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2007 (3) आरसीआर (सीआरएल) 1052 में इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी मंजूरी देता है।

(*पैरा* 10)

अभिनिर्धारित किया कि अब यह कहना निर्विवाद है कि आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति धारा 320 सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रभावित है।

(*पैरा* 11)

अभिनिर्धारित किया कि धारा 320 सीआरपीसी के तहत शक्ति का आह्वान करने से इनकार करना, हालांकि, उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी

अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेने से नहीं रोकता है और न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित आदेश पारित करता है।

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया कि कानून के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का परिमाण, गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें वर्तमान मामले में शामिल लोग भी शामिल हैं, भले ही धारा 320 सीआरपीसी के तहत रोक हो। हमारे विचार से ऐसी शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा उन सभी परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती है जहां मुकदमे का निष्कर्ष अंततः निरर्थक हो जाएगा।

(*पैरा*15)

अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में, केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था और स्कूल में ड्यूटी के दौरान उसे चोटें आई थीं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे 'समाज' के खिलाफ अपराध का मामला माना है, यह देखते हुए कि लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने से प्रतिबंधित किया गया है, कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। जबकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विवाद प्रथम दृष्टया पक्षकारों के बीच उनकी व्यक्तिगत और निजी क्षमता में था। इसलिए, योग्यता के आधार पर भी, वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां न्याय के अंत में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की जाती है क्योंकि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है और इससे पक्षों के बीच सामंजस्य आएगा।

(*पैरा* 16)

अमित कुमार गोयल, याचिकाकर्ताओं के वकील

आर.डी. शर्मा डी ए जी हरियाणा

रामेंद्र चौहान, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

*परमजीत सिंह,* न्यायमूर्ति

(1) यह याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपराधों के लिए समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए जा रहे संदर्भ पर हमारे समक्ष आई है।

(2) इसको लेकर कलह हुई है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में विचार किया गया

है। अब, फिर से विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2012 के सीआरएम एम-3 जे 958 में रंजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य शीर्षक से 08.11.2012 को तय किए गए इस न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर संदेह किया है, जिसमें समान अपराधों को एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कंपाउंड करने की अनुमति दी गई है। विद्वान न्यायाधीश ने 2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4964 में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले को भी प्रतिष्ठित किया है, जिसका शीर्षक कोर्ट ऑन द सेल्फ मोशन बनाम यूटी चंडीगढ़ और अन्य है, जिसमें समान अपराधों को कंपाउंड किया गया है।

(3) तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.10.2012 (अनुलग्नक पी/2) के आधार पर तित्रम जिला कैथल पुलिस स्टेशन में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 148,149,332, 353,186,506 के तहत दिनांक 13.10.2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148,149,332, 353,186,506 के तहत रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।

(4) तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है। प्रतिवादी नंबर 2 ने शिकायत दर्ज कराई कि वह जीएसएस प्योडा में विज्ञान शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। सुबह करीब 10.30 बजे शिकायतकर्ता प्रिंसिपल राजपाल के साथ अपने कार्यालय में स्कूल का काम कर रहा था। श्री साधु राम, जो सरपंच के पति थे, स्कूल आए और उन्होंने श्री साधु राम के साथ स्कूल जाने के लिए मार्ग के संबंध में मामले पर चर्चा की। इस बीच, याचिकाकर्ता कथित तौर पर वहां आए और शिकायतकर्ता को कार्यालय से बुलाने के बाद, उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई की थी। एफआईआर में कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं, जिन्हें हमें यहां चित्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे सामने कानून के प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक नहीं हैं।

(5) वर्तमान मामले में, जब याचिका दायर की गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को निर्देश दिया कि वे दिनांक 11.10.2012 के समझौते के आदेश की वास्तविकता के संबंध में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाएं।

(6) दिनांक 11.10.2012 के आदेश के अनुसरण में, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल ने दिनांक 20.11.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो इंगित करती है कि पक्षकार उनके समक्ष उपस्थित हुए और समझौते की वैधता और वास्तविकता के संबंध में उनके संबंधित बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि पार्टियों द्वारा बिना किसी दबाव या दबाव के बयान दिए गए हैं।

(7) इसके बाद, दिनांक 09.04.2013 के आदेश के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

*विनोद @ बोडा आदि ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में - सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है*

*समझौता अनुबंध पी-2 के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149-332, 353, 186 और 506 (संक्षेप में - 1 पीसी) पुलिस स्टेशन तित्रम जिला कैथल (अनुलग्नक पी-1) के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 13 दिनांक 13.10.2010 को रद्द करना।*

*2. विचारण न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पक्षकार समझौता कर चुके हैं।*

*3. पक्षकारों के विद्वान वकील एक समझौते पर पहुंचे हैं और इस न्यायालय (जितेंद्र चौधन, जे) ने 2012 के आपराधिक विविध संख्या एम-31858 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2012 के तहत रणजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के रूप में पारित आदेश में आईपीसी की धारा 353, 186, 341, 332, 427 और 34 के तहत अपराधों के पहलू में समझौता करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने 2013 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4964 में अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम यूटी, चंडीगढ़ और अन्य पर कोर्ट के रूप में अधिकार पर भरोसा किया और समझौता करने की अनुमति दी।*

*4. विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि आईपीसी की धारा 353 और 186 के तहत अपराध के लिए समझौता की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये अपराध राज्य के खिलाफ हैं।*

*5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और इस मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।*

*6. जहां तक 2013 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4964 पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता का संबंध है, जिसका शीर्षक कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम यूटी चंडीगढ़ और अन्य का मामला (सुप्रा) है, उस रिट याचिका में एक तरफ हेड कांस्टेबल द्वारा दिए गए संस्करण और दूसरी तरफ श्री रुपिंदर सिंह खोसला, एडवोकेट और इस अदालत की डिवीजन बेंच ने इस मामले को रजिस्ट्रार को सौंपा, तथ्यान्वेषी जांच करने के लिए सतर्कता।*

*7. रिपोर्ट के अनुसार, समाज के व्यापक हित में और सौहार्द बनाए रखने तथा न्याय प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों पक्षों ने परस्पर यह निर्णय लिया है कि मामले को न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा और तदनुसार मामले का निर्णय लिया गया। उस फैसले में यह देखा गया था कि किसी भी सफलता की कोई संभावना नहीं थी और यह अभ्यास निरर्थक साबित होगा। एफआईआर को दहलीज पर ही रद्द कर दिया गया।*

*8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में 2012 (4) (आपराधिक) पृष्ठ 543 में रिपोर्ट किया, जबकि समझौते के संबंध में मामले को निम्नानुसार देखा गया: -*

> *"57. उपरोक्त चर्चा से उभरने वाली स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। निहित शक्ति व्यापक प्रचुरता की है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना है; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि; ऐसे अपराधों से जुड़े आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन आपराधिक मामले जिनमें भारी और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद होता है, रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि। या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच*

*समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह के लिए मजबूर किया जाएगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के सिरों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामला समाप्त हो गया है और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा।*

*9. वर्तमान मामले में आरोप यह है कि दिनांक 13.10.2010 को लगभग 10.30 बजे शिकायतकर्ता प्रधानाचार्य श्री राजपाल के साथ अपने कार्यालय में स्कूल का काम कर रहा था। प्योडा के सरपंच ग्राम पाने घास के पति साधु राम कार्यालय में आए, जिनके साथ उन्होंने और प्रिंसिपल ने स्कूल के पास आने वाले मार्ग के बारे में चर्चा की। इस दौरान मियां जल गांव प्योदा के पुत्र केशा राम कार्यालय में आए जिन्होंने उनसे पूछा कि मास्टरजी बाहर आए क्योंकि उन्हें कुछ कहना है। वह केशा राम कैमो के साथ प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि स्कूल के परिसर में बलविंदर सिंह, सुखबीर सिंह @ बाथा, बोलिया, बोधा, का ला, जस्सू के साथ 2-3 और लोग खड़े थे जिन्हें वह दोबारा अपने सामने आने पर पहचान सकता था और जब वह साइड में आया तो बलविंदर ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और जस्सू ने चाकू का वार दिया जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ कर अपनी गर्दन की तरफ कर रखा था और वह अपनी सुरक्षा में पीछे हट गया लेकिन फिर भी (चाकू की धार उसकी गर्दन पर प्रहार किया। पीछे की तरफ से बोडा ने उसे जकड़ लिया और बलविंदर ने उस पर दांती जैसा तेज हथियार का वार किया और उसने अपना बायां हाथ अपनी सुरक्षा में आगे रखा जो उसके बाएं हाथ में लगा। बलिया ने उसे डंडा झटका दिया जो उसके घुटने पर लगा। काला ने एक डंडा झटका दिया जो उसके बाएं पैर को घुटने के नीचे लगा। सुखबीर @ बाथा और अन्य 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी पीठ पर डंडा वार किया और उसने अलार्म बचाओ बचाओ उठाया जिसने राजपाल प्रिंसिपल साहिब, रघबीर सिंह व्याख्याता, श्री चरण सिंह डीपी श्री शम्स हर सिंह ड्राइंग टीचर, रामेश्वर दास पी टीजे को आकर्षित किया। श्री सुरेश रविश, व्याख्याता, जो सभी जीएसएसएस प्योडा में तैनात हैं, अपने क्लास रूम से मौके पर दौड़ते हुए आए और शिकायतकर्ता को हमलावरों से बचाया।*

*10. इसलिए, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपियों/याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता सतबीर सिंह के आधिकारिक काम में बाधा डाली है। इसलिए, यह राज्य के खिलाफ एक अपराध है और ऊपर संदर्भित ज्ञान सिंह के मामले (सुप्रा) के मद्देनजर इसे कंपाउंडिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, इस न्यायालय ने आपराधिक विविध संख्या में। 2012 के एम- 31858 का शीर्षक रणजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले (सुप्रा) के रूप में आईपीसी की धारा 353, 186, 341, 332, 427 और 34 के तहत एफआईआर में अपराध के कंपाउंडिंग की अनुमति देता है। हालांकि, अकेले बैठते हुए, मुझे इस अदालत के पहले के फैसले को स्वीकार करना चाहिए या मामले को इस फैसले के लिए बड़ी बेंच को भेजा जा सकता है कि क्या आईपीसी की धारा 353, 186, 341, 332, 42, 7 और 34 के तहत अपराधों को राज्य के खिलाफ अपराध होने के कारण कम करने की अनुमति दी जा सकती है।*

*11. इसलिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामले को इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए: -*

> *1. क्या लोक सेवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 186 और 332 के तहत अपराधों को लोक सेवक के साथ समझौते के आधार पर कंपाउंडिंग की अनुमति दी जा सकती है? "*

(8) हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संदर्भ का अवलोकन किया है और हमारा विचार है कि संदर्भ तैयार करने में अनजाने में गलती हुई है, इसलिए हम अपने द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को फिर से तैयार करते हैं जो इस प्रकार है: -

*अदालत ने कहा, 'क्या आरोपी-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 186 और 332 के तहत अपराध शिकायतकर्ता लोक सेवक के साथ समझौते के आधार पर रद्द किए जा सकते हैं?*

(9) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोज्य अंतर्निहित शक्ति की सीमा और स्वीप, अभियुक्त और अपराध के पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, जो संहिता की धारा 320 या 321 के तहत शमनीय नहीं हैं, पर विस्तार से विचार किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह की सहजता (सुप्रा) में उत्तर दिया गया है, यह निर्धारित करना कि अपराध का कंपाउंडिंग और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना दो अलग-अलग चीजें हैं और विनिमेय नहीं हैं और यह कि दोनों शक्तियां अलग-अलग और अलग हैं, हालांकि अंतिम परिणाम समान हो सकते हैं। यह आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया गया है कि जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा किया है, उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482

के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सक्षम है, हालांकि इस तरह की शक्ति को संयम से लागू करने की आवश्यकता है और तब नहीं जब अपराध जघन्य हों, गंभीर, मानसिक भ्रष्टता या जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि। इली उच्चारण इस प्रकार कहता है: -

52. *इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा निहित शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला प्रदान करना अदालत के लिए न तो अनुमेय है और न ही उचित है। कोई सटीक और अनम्य दिशानिर्देश भी प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।*

53. *एक अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर अपराध या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना अपराध के कंपाउंडिंग के समान नहीं है। वे अलग हैं और विनिमेय नहीं हैं। कड़ाई से बोलते हुए, धारा 320 के तहत एक अदालत को दिए गए अपराधों के कंपाउंडिंग की शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से भौतिक रूप से अलग है। अपराधों के कंपाउंडिंग में, एक आपराधिक अदालत की शक्ति को धारा 320 में निहित प्रावधानों द्वारा सीमित किया जाता है और अदालत को पूरी तरह से और पूरी तरह से निर्देशित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर, एक आपराधिक अपराध या आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा राय का गठन रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा निर्देशित होता है कि क्या न्याय के अंत शक्ति के ऐसे प्रयोग को सही ठहराएंगे, हालांकि अंतिम परिणाम अभियोग से बरी या खारिज किया जा सकता है।*

54. *जहां उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद का निपटारा हो गया है, हालांकि अपराध शमनीय नहीं हैं, यह ऐसा करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थकता में एक अभ्यास होगा और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद को समाप्त कर दिया जाए और शांति बहाल हो; न्याय के सिरों को सुरक्षित करना अंतिम मार्गदर्शक कारक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध ऐसे कार्य हैं जिनका जनता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसमें गलत काम शामिल होता है जो गंभीर रूप से समाज की भलाई को खतरे में डालता है और धमकी देता है और अपराध करने वाले को केवल इसलिए छोड़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने और पीड़ित ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है या पीड़ित को मुआवजा दिया गया है, फिर भी कुछ अपराधों को कानून में शमनीय बनाया गया है, न्यायालय की अनुमति के साथ या उसके बिना। हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराधों के संबंध में; ( ख)*

*भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानसिक भ्रष्टता के अपराधों अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष संविधियों के अंतर्गत नैतिक अधमता के अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा उस हैसियत से कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में किसी प्रकार के अपराध के संबंध में कोई कानूनी स्वीकृति नहीं हो सकती है। हालांकि, कुछ अपराध जो भारी और मुख्य रूप से सिविल स्वाद को सहन करते हैं, जो सिविल, व्यापारिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, विशेष रूप से दहेज आदि से संबंधित या पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं, जहां गलत मूल रूप से पीड़ित के लिए है और अपराधी और पीड़ित ने उनके बीच सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के अपराधों को शमनीय नहीं बनाया गया है, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के ढांचे के भीतर, आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत या एफआईआर को रद्द कर सकता है यदि यह संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते के चेहरे पर, अपराधी को दोषी ठहराए जाने की शायद ही कोई संभावना है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करके, न्याय आकस्मिक होगा और न्याय के अंत पराजित होंगे। उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर और त्वरित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।*

*(10) ज्ञान सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) में लिए गए दृष्टिकोण को भी मंजूरी देता है।*

(11) अब यह कहना निर्विवाद है कि आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति सीआरपीसी की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा सीमित या प्रभावित है।

(12) हालाँकि, हम यह जोड़ने की जल्दबाजी कर सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 320 के तहत अदालत की शक्ति अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर किसी अपराध को 'कंपाउंडिंग' करने के लिए केवल तभी लागू की जा सकती है जब विषय अपराध शमनीय हो। दूसरे शब्दों में, सीआरपीसी की धारा 320 के तहत शक्ति गैर-शमनीय अपराध की आसानी के संबंध में प्रयोग योग्य नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय की एक श्रृंखला में फैसला सुनाया है, जिसमें (i) ***सुरेंद्र नाथ मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य,*** (2) (ii) ***बनकट बनाम महाराष्ट्र राज्य,***

(1) 2007 (3) आरसीआर (सीआरएल) 1052

(2) (1995) 5 एससीसी 238

***(3) गुलाब दास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (4) और बीएस जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (5) ।***

(13) हालांकि, सीआरपीसी की धारा 320 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार करना उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेने और न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए उचित आदेश पारित करने से नहीं रोकता है।

(14) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जहां लोक सेवक के खिलाफ अपराध है, उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है या नहीं, हमारे सामने मुद्दा है।

(15) कानून के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का परिमाण, गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें वर्तमान मामले में शामिल लोग भी शामिल हैं, भले ही धारा 320 सीआरपीसी के तहत रोक हो। हमारे विचार से ऐसी शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा उन सभी परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती है जहां मुकदमे का निष्कर्ष अंततः निरर्थक हो जाएगा।

(16) वर्तमान मामले में, केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था और स्कूल में ड्यूटी के दौरान उसे चोटें आई थीं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे 'समाज' के खिलाफ अपराध का मामला माना है, यह देखते हुए कि लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने से प्रतिबंधित किया गया है, कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

*(3) (2005) 1* एससीसी *343*
*(4) (2011) 10* एससीसी *765*
*(5) (2003) 4* एससीसी *675*

जबकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विवाद प्रथम दृष्टया पक्षकारों के बीच उनकी व्यक्तिगत और निजी क्षमता में था। इसलिए, योग्यता के आधार पर भी, वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां न्याय के अंत में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की जाती है क्योंकि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है और इससे पक्षों के बीच सामंजस्य आएगा।

(17) इसके अलावा, इस मामले में, पार्टियां पहले ही त्रिकोणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुकी हैं और त्रिकोणीय न्यायालय ने इसके समक्ष दिए गए पक्षों के बयानों के आधार पर समझौते को प्रमाणित किया है।

(18) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह माना जाता है कि स्थापित कानून के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां पर्याप्त व्यापक हैं, हालांकि संयम और विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए, और यह न्यायालय मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध लोक सेवक के खिलाफ हो।

(19) नतीजतन, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और उपरोक्त कारणों से, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं। पुलिस स्टेशन तित्रम, जिला कैथल में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149,332,353, 186, 506 के तहत एफआईआर नंबर 13, दिनांक 13.10.2010 और उक्त एफआईआर से उत्पन्न सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

***ए जैन***

विनोद @ बोडा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *(परमजीत सिंह, न्यायमूर्ति)*

**अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**खुश करण जोत सिंह गिल**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी**